अवधारणा एवं परिचालन रूपरेखा

A अवधारणा

नाबार्डः–

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), मुम्बई, महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई, 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक हैं।

भूमिकाः–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराते हैं उनके वित्तपोषण की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में यह कार्य करता है।
2. ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषण क्षमता के लिए संस्थान के निर्माण की दिशा में उपाय करता है, जिसमें निगरानी, पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन, ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन, कर्मियों के प्रशिक्षण में सुधार इत्यादि शामिल हैं।
3. सभी संस्थाएं जो मूलतः जमीनी स्तर पर विकास में लगे काम से जुड़ी है, उनकी ग्रामीण वित्तपोषण की गतिविधियों के साथ समन्वय रखता है तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) एवं नीति निर्धारण के मामलों से जुड़ी अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों के साथ तालमेल बनाए रखता है।
4. यह अपनी पुनवर्तित परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है।

आर0आई0डी0एफ0 (RIDF) की उत्पत्ति (प्रारंभ)

कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की कमी आज का विषय है, यह वह क्षेत्र है जिसका दायित्व राज्य सरकारों पर है, किन्तु अधिकांश राज्यों के आधारभूत ढांचे में निवेश को नजरअंदाज करते आयें

हैं। कई ऐसी आधारभूत परियोजनाएं जो प्रारम्भ की गई थी, किन्तु संसाधनों की कमी के चलते अधूरा पड़ा है, ये ग्रामीण बैंकों के रोजगार, आय एवं संभाव्यता के क्षेत्र में भारी गिरावट का कारण है।

माननीय वित्त मंत्री का केन्द्रीय बजट अभिभाषण 1995–1996 से उद्धतः–

- आठवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र कृषि और ग्रामीण आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में निवेश की कमी देखी गई।
- ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास में संसाधनों की कमी एक मूलभूत समस्या रही है। राज्य सरकारों, जिनसे ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास रख–रखाव की अपेक्षा की जाती है, के पास संसाधनों की गंभीर कमी है।
- इसके अलावा, वाणिज्यिक बैंक, वितरित किए जानेवाले कुल ऋण का 18 प्रतिशत कृषि में लगाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर पा रहे थे।
- इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने वर्ष 1995–1996 के बजट में चालू ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं में वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तहत ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि बनाये जाने की घोषणा की।

आ0आई0डी0एफ0 में अंशदान–

आर0आई0डी0एफ0 की स्थापना 1995–96 में 2000 करोड़ रूपये (RIDF-I) आर0आई0डी0एफ0–1 की प्रारंभिक राशि से की गई। यह राशि भारत में कार्य कर रहे अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य में रही कमी के बराबर अंशदान से प्राप्त हुई। यह राशि दिए जाने वाले कुल बैंक ऋण का अधिकतम 1.5 प्रतिशत होगी।

B परिचालन रूप रेखा

1. नोडल विभागः– सभी ग्रामीण आधारभूत परियोजनाओं का नोडल विभाग राज्य का वित्त विभाग होता है। इन सभी परियोजनाओं के चयन से लेकर अनुमादन की प्रक्रिया वित्त विभाग के माध्यम से किया जाता है। सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी वित्त विभाग की होती है।
2. राशि का प्रकारः– सभी विभागों द्वारा समर्पित खर्च विवरणी के आलोक में Reimbursement के आधार पर नाबार्ड द्वारा स्वीकृत राशि जारी की जाती है। नाबार्ड द्वारा स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत राशि Mobilization Advance के रूप में जारी किया जाता है, जिससे आहरण (Drawal) के समय योग्य राशि में समायोजित कर दिया जाता है। विभाग द्वारा किये गये खर्च के आलोक में वित्त विभाग को ऋण जारी कर दिया जाता है।

3. आर0आई0डी0एफ0 ऋण की मात्रा :–

क्रम सं0	उद्देश्य	नबार्ड का अंशदान (%)	राज्य सरकार का अंशदान (%)
1	पथों एवं पुलों का निर्माण	80	20

4. ऋण की वापसीः– ऋण की राशि की वापसी सात साल में किया जाना है जिसमें दो साल (रियायती साल) के दौरान केवल सूद का भुगतान किया जाता है। सूद का भुगतान प्रत्येक चौथाई हिस्सा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर एवं 31 दिसम्बर को किया जाता है। ऋण की राशि का भुगतान 36 महीने से 5 बराबर किश्त में किया जाता है।

5. बजट प्रावधानः– प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमिटि (PSC) द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं शुरू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋण की वापसी एवं सूद के भुगतान हेतु एक बजट प्रावधान बनाने की आवश्यकता है।

6. सिक्यूरिटी (जमानत, सुरक्षा):– राज्य सरकार को अनुमोदित ऋण को आर0बी0आई0 द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक निकासी के समय टाइम प्रोमिशरी नोट्स (TPN) नाबार्ड को समर्पित किया जाता है।

7. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 (I) का अनुपालनः– भारतीय संविधान के अनुच्छेद–293 (क) के अनुपालन में राज्य सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में Borowing Power के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

आर0आई0डी0एफ0 से लाभः–

अधूरी पड़ी हुई आधारभूत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण से आम तौर पर मिलने वाले महत्त्वपूर्ण सम्भाव्य लाभ ये है कि राज्य सरकारों द्वारा उनमें पहले से किए गए निवेशों को उबारना और इन परियोजनाओं से होने वाला पूरा लाभ प्राप्त करना है।

आर0आई0डी0एफ0 के उपयोग में कमी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से आती हैः–

1. मंजूरी की सूचना मिल जाने के पश्चात निधियों के आहरण के लिए संबंधित राज्य सरकारों में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं।
2. भूमि अधिग्रहण और क्षतिपूर्ति के भूगतान में विलम्ब।
3. वन तथा पर्यावरणीय निर्वाधता प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

4. मंजूरी के पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजनाओं के डिजायनों में किए जाने वाले परिवर्तन।
5. राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले अपर्याप्त बजटीय प्रावधान।
6. विभिन्न विभागों के बीच समन्वय में कमी
7. (नन स्टारटर) शुरू नहीं होने वाले या धीरे चलने वाली परियोजनाएं
8. अनुमति के उपरान्त योजनाओं की वापसी।
9. एम0आई0एस0 / क्यू0पी0आर0 / फायनेंनशियल स्टेटमेंट का जमा नहीं होना।